न्यायालय जिला कलक्टर हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नामः—प्रकाश राजपुरोहित

अपील संख्याः— 22 / 2009

1.साजनराम पुत्र श्री फरसाराम जाति जाट आयु 65 वर्ष निवासी दौलतपुरा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।
2.सुभाष पुत्र पूर्णाराम पुत्र सांवताराम नायक आयु 22 वर्ष निवासी दौलतपुरा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।
3.बन्तासिंह उर्फ बलवन्तराम पुत्र श्रीराम नायक आयु 45 वर्ष निवासी दौलतपुरा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।
4.हरप्रीतसिंह पुत्र वकीलसिंह सिख आयु 30 वर्ष निवासी दौलतपुरा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।
5.वकील सिंह पुत्र गुरचरण सिंह जाति सिख आयु 60 वर्ष निवासी दौलतपुरा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।
6.विरेन्द्र कुमार पुत्र बीरबलराम पुत्र पार्वती जाति जाट आयु 40 वर्ष निवासी दौलतपुरा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।

——अपीलान्टान

बनाम

1.राजस्थान राज्य जरिये जिला रसद अधिकारी हनुमानगढ।
2.सतपाल गिरी पुत्र श्री हजारीराम गिरी निवासी दौलतपुरा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।

——रेस्पोडेन्टान

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अपील विरूद्ध कार्यालय आदेश दिनांक 05.05.09 जिला रसद अधिकारी हनुमानगढ प्रकरण संख्या 44 / 2009 शीर्षक स्टेट बनाम सतपाल बाबत निरस्त करने डिपू होल्डर का लाईसेन्स।

उपस्थितः—1.श्री अनिल कुमार शर्मा वकील अपीलान्ट सं0 1 व 6 की ओर से
2.श्री सोहन लाल सहारण राजकीय अधिवक्ता

ला कलक्टर
हनुमानगढ

स्टेट की ओर से
3.श्री संजयपाल गौदारा वकील रेस्पोडेन्ट नं0 2 की ओर से

निर्णय दिनांकः–11.05.2017

अपीलान्टस द्वारा प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त रूप से तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्टस के ग्राम दौलतपुरा में रेस्पोडेन्ट संख्या 2 को उचित मूल्य की दुकान का लाईसेन्स प्रदान किया हुआ है। अप्रार्थी संख्या 2 संचालित डिपू के रिकार्ड रजिस्टर में गेहूँ व केरोसीन के वितरण में हेर फेर कर लाखो रूपया का धोटाला किया जिस बाबत अपीलान्टस ने जिला रसद अधिकारी हनुमानगढ के एक शिकायत पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि डिपू होल्डर सतपाल रिकार्ड में हेर फेर कर गेहुँ व केरोसीन तेल में किये गये धोटाले के बाबत अप्रार्थी 2 का लाईसेन्स निरस्त किया जावे। शिकायत दर्ज होने पर जांच की गई तो जांच में अनियमितता पाई गई एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 05.05.09 को निर्णय पारित कर लाईसैन्सधारी सतपाल का उचित मूल्य का लाईसेन्स निरस्त न कर मात्र प्रतिभूति राशि 1000/–रूपये जब्त किए जाने के आदेश प्रदान किये गये है। अपीलान्टस लाईसैन्सधारी सतपाल का लाईसेन्स अपास्त करवाना चाहता है।

अपीलान्टस ने अपने शिकायत प्रार्थना पत्र में यह यह स्पष्ट अंकित किया है कि ग्राम दौलतपुरा पंचायत मल्लडखेडा के डिपू होल्डर सतपाल पुत्र श्री हजारीराम गिरी वी.पी.ओ. दौलतपुरा पंचायत तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ ने अपने द्वारा संचालित डिपू के रिकार्ड रजिस्टर में गेंहू व केरोसीन के वितरण में हेर फेर कर लाखो रूपया का धोटाला किया है। डिपू होल्डर ने अपने वितरण रिकार्ड रजिस्टर में अनेक उपभोक्ताओ द्वारा गेहूँ व केरोसीन ले जाना पाया गया लेकिन उपभोक्ताओ के राशन परिवार कार्डो में गेहूँ व केरोसीन ले जाना दर्ज नही है लेकिन डिपू होल्डर के वितरण रजिस्टर में फर्जी इन्द्राज कर ले जाना दर्ज कर रखा है। अपीलान्टस के परिवार कार्डो में न तो राशन वितरण दर्ज किया गया है और न ही उपभोक्ताओ के वितरण रजिस्टर में हस्ताक्षर है न ही उपभोक्तओ को राशन मिला है। डिपू होल्डर ने वितरण रजिस्टर में फर्जी इन्द्राज कर उपभोक्ताओ का राशन गैर कानूनी ढंग से अपने को नाजायज फायदा पहुंचाने व उपभोक्ताओं को नाजायज नुकसान पहुचाने की गर्ज से राशन वितरण रजिस्टर में इन्द्राज कर राशन हड़प कर घोटाला किया है। राशनकार्डों व वितरण रजिस्टर के मिलान से सिद्ध होता है कि डिपू होल्डर ने राशन में धोटाला कर अपने कर्तव्यो को कानूनी ढंग से नही निभाया है। कार्ड संख्या 992 औम प्रकाश पुत्र सुरजाराम ग्राम मल्लड व कार्ड सं. 988 मदनलाल पुत्र सुन्दरलाल मल्लडखेडा के इन्ही राशन कार्डो पर दिनांक 18.08.2008 को दौलतपुरा डिपू से केरोसीन वितरण रजिस्टर में वितरण करना दिखाया गया है जबकि इन्ही राशन कार्डो पर दिनांक 20.08.08 को मदनलाल पुत्र सुन्दरराम व दिनांक 21.08.08 को औमप्रकाश पुत्र सुरजाराम के राशनकार्ड पर मल्लडखेडा के वितरण रजिस्टर पर केरोसीन देना दर्ज किया गया है। इसी प्रकार दिनांक 02.12.08 को बी.पी.एल. के कार्ड संख्या 464 डिपू दौलतपुरा श्योकरण पुत्र मुन्शीराम बीपीएल कार्ड धारक है जबकि कार्ड को

जिला कलक्टर
हनुमानगढ

एपीएल रजिस्टर में दर्ज किया गया है। इस प्रकार से डिपू होल्डर दौलतपुरा द्वारा फर्जी इन्द्राज वितरण रजिस्टर मे कर विधि विरूद्ध व गैर कानूनी ढंग से अपने को नाजायज फायदा पहुचाने की गर्ज से राशन वितरण में धोटाला किया गया है। इन समस्त तथ्यो पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा गौर न कर मात्र अप्रार्थी संख्या 2 पर एक हजार रूपया की प्रतिभूति राशि जब्त किए जाने के आदेश प्रदान किए गए है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा जारी कार्यालय आदेश दिनांक 05.05.09 को अपास्त फरमाया जावे एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 2 का लाईसेन्स निरस्त किया जावे।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्ट तथा अभिलेख की तलबी की गई। अपीलान्ट संख्या 1 व 6 के वकील, राजकीय अधिवक्ता, रेस्पोडेन्ट नं0 2 के वकील उपस्थित आये। अपीलान्ट संख्या 2 ता 5 ना तो स्वयं उपस्थित आये और ना ही इनकी ओर से कोई अन्य उपस्थित आये।

वकील उभय पक्ष को सुना गया। वकील अपीलान्ट ने कथन किया कि उसकी ओर से पूर्व में ही लिखित बहस दी जा चुकी है। अपीलान्ट संख्या 1 व 6 के वकील की लिखित बहस के अनुसार दौलतपुरा के ग्रामवासी साजनराम आदि ने ग्राम दौलतपुरा डिपू होल्डर सतपाल पुत्र हजारीराम गिरी के खिलाफ जिला रसद अधिकारी को प्रार्थना पत्र दिया कि उक्त डिपू होल्डर द्वारा संचालित डिपू के रिकार्ड रजिस्टर में गेहूँ व केरोसीन के वितरण में हेर—फेर की है। लिखित बहस में अंकित व्यक्तियो द्वारा राशन गेहूँ व केरोसीन नही ले जाने पर भी डिपू होल्डर द्वारा अपने वितरण रजिस्टर में फर्जी इन्द्राज कर उनके द्वारा राशन ले जाना दर्ज किया है। राशनकार्डधारियो द्वारा राशन व केरोसीन नही ले जाने पर राशन कार्डो में राशन वितरण दर्ज किया गया है। उपभोक्ताओ के डिपू होल्डर के वितरण रजिस्टर में हस्ताक्षर व अंगूठा निशानी नही है। दौलतपुरा का डिपू होल्डर होने के साथ—साथ मल्लडखेडा डिपू का अस्थाई डिपू धारक है। कार्ड सख्या 464 श्योकरण पुंत्र मुन्शीराम दौलतपुरा का बी.पी.एल. कार्ड धारक है जबकि कार्ड को एपीएल रजिस्टर में दर्ज किया गया है। शिकायत पर जांच में प्रवर्तन निरीक्षक ने डीलर को दोषी माना जिसका हवाला जिला रसद अधिकारी ने अपने फैसले में किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने फैसले में डीलर के जवाब को सन्तोषप्रद नही पाया। अधीनस्थ न्यायालय ने डीलर को दोषी मानते हुए प्रतिभूति राशि 1000/—रूपये जब्त करने का फैसला सुनाया। डीलर द्वारा राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 की धारा 15 के अनुसार उचित मूल्य का दुकानदार (डीलर) राशन कार्ड के निर्धारित स्थान पर राशनकार्डधारी द्वारा खरीदे गये खाद्य व अन्य आवश्यक वस्तुओ की मात्रा दिनांक के साथ रिकार्ड करेगा परन्तु राशनकार्डो पर राशन की मात्रा दर्ज नही है क्योकि राशनकार्डधारियो को राशन दिया ही नही गया था। अपील अपीलान्टस स्वीकार कर डिपू लाईसेन्स रद्द कर किसी अन्य ईमानदार व्यक्ति या संस्था को दिया जावे।

राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में बताया कि ग्राम दौलतपुरा के डिपू होल्डर के खिलाफ दुबारा शिकायत होने पर प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा जांच की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जांचकर्ता की जांच के आधार पर अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है जो विधि सम्मत हैं। अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जावे।

जिला कलक्टर
हनुमानगढ़

रेस्पोडेन्ट नं0 2 के वकील की लिखित बहस के अनुसार ग्रामवासी दौलतपुरा के एक व्यक्ति रमेश चन्द्र पुत्र जगदीश प्रसाद बैनीवाल ने कुछ लोगो का नाम अंकित करते हुए सतपाल डिपू होल्डर के खिलाफ जिला रसद अधिकारी के एक झूठी शिकायत रंजिशवश करवाई जिस पर नायब तहसीलदार टिब्बी द्वारा मौके पर जांच की गई जिसमें गेहूँ व केरोसीन का स्टॉक मुताबिक रिकार्ड सही पाया गया। राशन कार्ड में गेहूँ व केरोसीन दर्ज था। उपभोक्ताओ के वितरण रजिस्टर में अपने हस्ताक्षर होना बताया व वार्ड पंचो ने भी इस बात की ताइद की कि डीलर द्वारा राशन आवाज लगाकर वितरण करवायां जाता है। इसके बाद रमेश चन्द्र ने एक झूठी शिकायत पुनः करवायी जिस पर प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा जांच करवायी गयी। निरीक्षक ने अपने जांच रिपोर्ट दिनांक 04.03.09 में भौतिक सत्यापन करने पर स्टॉक सही पाया लेकिन उन्होने डीलर द्वारा 70 किलो गेहूँ की कीमत 329/—रूपये के स्थान पर 330/—रूपये लेना अंकित किया व केरोसीन का वितरण एक साथ कई कार्डो पर दिया जाना बताया इसके साथ ही अदालत मातहत ने अपने निर्णय में यह भी दर्ज किया है कि मुख्य शिकायतकर्ता रमेश कुमार पुत्र जगदीश किरयाना की दुकान करता है जिसके यहां जांच करने पर 210 लीटर केरोसीन बरामद हुआ जो जब्त किया गया व धारा 6 (ए) का प्रकरण पेश किया गया। अदालत मातहत ने यह भी माना है कि डीलर का वितरण उपभोक्ताओ ने सन्तोषप्रद बताया। डीलर सतपाल की 1000/—रूपये की प्रतिभूति राशि जब्त करने का आदेश दिया गया। शिकायतकर्ता साजन राम वगैरा ने यह अपील की है। वकील रेस्पोडेन्ट नं0 2 ने अपनी लिखित बहस में यह भी कथन अंकित किया है कि किसी व्यक्ति द्वारा अगर शिकायत की जाती है तथा उसकी शिकायत खारिज हो जाती है तो शिकायतकर्ता को अपील करने का कोई अधिकार नही है। इस संबंध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय का निर्णय डी बी सिविल स्पेशल अपील (रिट सं. 942/2006) अनवान मॉगी लाल बनाम स्टेट आदि दिनांक 05.1.2007 स्पष्ट है। डी.एस.ओ. हनुमानगढ द्वारा पारित आदेश के खिलाफ माननीय उच्च न्यायालय में पहुंचा था। जिसमें कथित अपील अपीलान्ट इस आधार पर प्रथम दृष्टया ही खारिज किये जाने योग्य है। रेस्पो0 नं0 2 अपीलान्ट द्वारा दर्ज अभिकथनो का विवेचन व अंकन कर रहा है। इस प्रकरण में मुख्य रूप से शिकायतकर्ता रमेश चन्द्र पुत्र श्री जगदीश प्रसाद बैनीवाल था जो गांव में किरयाना की दुकान करता है तथा येन केन प्रकरेण गॉव दौलतपुरा की उचित मूल्य की दुकान लेना चाहता है व अवैध रूप से मिट्टी का तेल का व्यवसाय करता है। गांव के भोले—भाले लोगो से राशन कार्ड इक्ट्ठे कर उस पर खुद मिटटी का तेल लेता है व ब्लैक में बेचता है। प्रकरण में एक अन्य बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य यह भी है कि कथित अपीलान्ट संख्या 2 से 5 ने शपथ पत्र सहित प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करके यह निवेदन किया है कि हमारी तरफ से कोई अपील नही की गयी। रमेश कुमार पुत्र जगदीश प्रसाद ने यह कहकर अंगूठे दस्तखत करवाये थे कि मैं ग्राम पंचायत दौलतपुरा की उचित मूल्य की दुकान लेना चाहता हूँ। डिपू होल्डर से हमें कोई शिकायत नहीं है। अदालत मातहत के निर्णय से यह स्पष्ट है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 2 द्वारा किसी किस्म की कोई गड़बड़ी हैराफेरी नहीं की गई है तथा मुझ रेस्पोडेन्ट पर 1000/—रूपये प्रतिभूति राशि जब्त करने के आदेश कथित शिकायतकर्ताओ के नाजायज दवाब में आकर पारित किया गया है। अपीलान्ट द्वारा अपनी अपील में दर्ज तथ्य कतई

जिला कलक्टर
हनुमानगढ

आधारहीन एव मिथ्या हैं। रेस्पोडेन्ट द्वारा राशन वितरण में न तो कोई घोटाला किया गया है व न ही कोई फर्जी इन्द्राज किया गया है। ऐसी आधारहीन मिथ्या अपील को खारिज फरमाया जावे। वकील रेस्पोडेन्ट नं0 2 द्वारा जो न्यायिक दृष्टान्त अपनी लिखित बहस में दर्शाये गये है। इन न्यायिक दृष्टान्त की चित्रप्रति लिखित बहस के साथ संलग्न नहीं होना पाई गई है।

वकील उभय पक्ष की लिखित बहस का अवलोकन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलान्टस द्वारा यह अपील अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 05.05.2009 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई। अपीलान्ट संख्या 2 ता 5 ना तो स्वयं उपस्थित आये और ना ही उनकी ओर से कोई अन्य उपस्थित आया। अपीलान्ट संख्या 2 ता 5 की ओर से दिनांक 06.04.2011 को एक प्रार्थना पत्र पेश किया गया था जो पत्रावली पर उपलब्ध है जिसका अवलोकन करने से पाया गया कि अपीलान्ट संख्या 2 ता 5 को रेस्पोडेन्ट नं0 2 से कभी कोई शिकायत नही रही है और ना ही कोई शिकायत है और यह अपील नही चलाना चाहते है। अपीलांट संख्या 1 व 6 के वकील द्वारा अपनी लिखित बहस में यह तथ्य अंकित करना कि दौलतपुरा के डिपू होल्डर सतपाल द्वारा संचालित डिपू के रिकार्ड रजिस्टर में गेहूँ व केरोसीन के वितरण में हेर–फेर की है। व्यक्तियो द्वारा राशन गेहूँ व केरोसीन नही ले जाने पर भी डिपू होल्डर द्वारा अपने वितरण रजिस्टर में फर्जी इन्द्राज कर उनके द्वारा राशन ले जाना दर्ज़ किया है। राशनकार्डधारियो द्वारा राशन व केरोसीन नही ले जाने पर राशन कार्डो में राशन वितरण दर्ज किया गया है। उपभोक्ताओ के डिपू होल्डर के वितरण रजिस्टर में हस्ताक्षर व अंगूठा निशानी नही है। ग्राम दौलतपुरा के डिपू होल्डर के खिलाफ पुनः शिकायत होने पर जिला रसद अधिकारी हनुमानगढ़ द्वारा प्रवर्तन निरीक्षक से डिपू होल्डर की उचित मूल्य की दुकान की जांच करवाई गई। प्रतर्वन निरीक्षक की जांच रिपोर्ट के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नही समझते है। उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलांट खारिज योग्य है।

अतः अपील अपीलांट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश को यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रति के साथ अभिलेख जिला रसद अधिकारी हनुमानगढ को वापिस लौटाया जावे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर की जावे।

निर्णय आज दिनांक 11.05.2017 को लिखाया जाकर सुनाया गया।

जिला कलक्टर
हनुमानगढ़

जिला कलक्टर
हनुमानगढ